प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 13 नवम्बर,2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या-301/दुग्ध-4/नियो0/ उ0प्र0रा0दु0परि0 वि0सहा0/2020-21, दिनांक 13अक्टूबर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता मद में प्राविधानित धनराशि रू0163.84लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-8/2020/690/53-2-2020-44(बजट)/18, दिनांक 14 अगस्त, 2020द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 37.27लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गतकी गयी है। द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 126.57लाख में से रू0 40.96लाख की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वेतन, सी0पी0एफ0 में परिषद के अंशदान, ग्रेच्युटी, तथा नकदीकरण में किया जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24मार्च,2020, 07.04.2020,11.4.2020 व 18.5.2020 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-10-उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-1-890/दस-2020 दिनांक 12नवम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 15/2020 /929(1)/53-2-2020-44बजट/18तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0, प्रयागराज।(इलाहाबाद)
2- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद,जवाहर भवन,लखनऊ।
3- निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0,लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2/वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0,जवाहर भवन,लखनऊ
8- वेबमास्टर,दुग्धशाला विकास विभाग,जवाहर भवन,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।